

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मऊ, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, मथुरा, सन्तकबीरनगर एवं सम्भल।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 22 फरवरी, 2022

विषय:-जनपदों में तैनात आपदा विशेषज्ञों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-मऊ, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, मथुरा, सन्तकबीरनगर एवं सम्भल में जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में तैनात आपदा विशेषज्ञों को माह फरवरी, 2022 तक का मानदेय रू० 50,000/-प्रति माह दिये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत रू० 7,58,817/- (रू० सात लाख अठावन हजार आठ सौ सतरह मात्र) की धनराशि, निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नीचे दी गयी तालिका में उल्लिखित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (रू० में)
	2	3
1	मऊ	1,15,000.00
2	प्रयागराज	86,667.00
3	सिद्धार्थनगर	2,00,000.00
4	मथुरा	85,484.00
5	सन्तकबीरनगर	58,333.00
6	सम्भल	2,13,333.00
	योग	7,58,817.00
(रू० सात लाख अठावन हजार आठ सौ सतरह मात्र)		

- (1) राहत सहायता के वितरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माडल कोड आफ कन्डक्ट में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।
- (3) जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के नियम-209 तथा चैप्टर-1 के संलग्नक-ए में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 में उल्लिखित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(5) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-359-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(7) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

2- उक्त स्वीकृति रू0 7,58,817.00/- (रू0 सात लाख अठान्न हजार आठ सौ सतरह मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या-288(1)/एक-10-2021-33(79)/15 टीसी, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
- 3- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
- 4- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित, मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 9- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राम केवल)
विशेष सचिव।

६

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022

आवंटन दिनांक-22/02/2022

प्रेषण संख्या:- 288
 आवंटन आदेश संख्या:- 203-2021-2022
 अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 80 - सामान्य
 800 - अन्य व्यय
 07 - जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मथुरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	85484 185484	85484 185484
2	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	86667 186667	86667 186667
3	मऊ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	115000 215000	115000 215000
4	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	200000 300000	200000 300000
5	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	58333 408333	58333 408333
6	सम्बल-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	213333 313333	213333 313333
	योग	वर्तमान प्रगामी	758817 1608817	758817 1608817

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सात लाख अठ्ठावन हजार आठ सौ सत्रह

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह लाख आठ हजार आठ सौ सत्रह



(अखिलेश प्रताप सिंह)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(अखिलेश प्रताप सिंह)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

राहत आयुक्त कार्यालय

उ० प्र० शासन।